पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
भोपाल

समाचार पत्र	हरिभूमि, भोपाल	पेज नं.	10	दिनांक	17.8.2024
विषय	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय				

मजदूरों से लेकर रेहड़ी और पटरी वालों को होगा फायद

असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत देश के करोड़ों कामगारों के लिए ई-श्रम पोर्टल लांच

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत देश के करोड़ों कामगरों को गुरुवार को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने कामगरों के हितों को ध्यान में रखते हुए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव और श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली मौजूद थे। पोर्टल के लॉन्च के बाद श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है।

यह मजदूरों का डेटा बेस होगा। इसकी मदद से सरकार सोशल सिक्योरिटी स्कीमों को उनके दरवाजे पर तक पहुंचाएगी। इससे पहले केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई-श्रम पोर्टल का लोगो लॉन्च किया था।

सोशल सिक्योरिटी स्कीमों को उनके दरवाजे तक पहुंचाएगी सरकार

38 करोड़ कामगारों को मिलेगा लाभ

केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंदर यादव ने कहा था कि यह 'हमारे राष्ट्र निर्माताओं, हमारे श्रम योगियों' का राष्ट्रीय डेटा बेस होगा। सरकार का लक्ष्य अपनी सोशल सिक्योरिटी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना है। इसी के लिए अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के 38 करोड़ वर्करों का नेशनल डाटाबेस यानी ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। इस डेटा बेस में मजदूर, प्रवासी मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार कंस्ट्रक्शन वर्कर, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर, खेतीहर मजदूर और असंगठित क्षेत्र के दूसरे वर्कर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।

श्रमिकों को कराना होगा पंजीकरण

डेटा बेस के लॉन्च के बाद श्रमिकों को स्वयं अपना पंजीकरण कराना होगा। उनको अपने नाम, पेशा, पता, पेशे का प्रकार, शैक्षि योग्यता, कौशल, और पारिवारिक विवरण आदि की पूरी जानका देनी होगी। प्रवासी मजदूर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर पंजीकरण करा सकते हैं। जिन मजदूरों के पास फोन नहीं हैं या जो पढ़ना/लिखना नहीं जानते, वो सीएससी केंद्रों जाकर, पंजीकरण करा सकते हैं। श्रमिक के यूनिक अकाउंट न का एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाया जाएगा जिसे ई श्रम कार्ड नाम गया है। असंगठित और प्रवासी श्रमिकों के डेटा बेस को आधार साथ जोड़ा जाएगा। नेशनल टोल फ्री नंबर जारी: इसके साथ ही असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत देश के करोड़ों कामगरों की सुविधा के लिए सरकार एक नेशनल टोल फ्री नंबर भी जारी करेगी। वर्कर नंबर पर फोन करके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी जानकारी ले सकेंगे। ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें आधार नंबर और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। यह नंब 14434 है।

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार

भोपाल

समाचार पत्र	नवदुनिया, भोपाल	पेज नं.	10	दिनांक	27.8.21
विषय	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय				

38 करोड़ असंगठित श्रमिकों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा

नई दिल्ली, ब्यूरो: 38 करोड़ असंगठित और प्रवासी श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने को केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को ई-श्रम पोर्टल लांच किया। इसके लिए श्रमिकों को आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक खाता नंबर देना होगा। पंजीयन पूरी तरह से मुफ्त होगा और श्रमिक कामन सर्विस सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। पंजीयन कराने वालों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया जाएगा। फिलहाल पंजीयन कराने वाले श्रमिकों को दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा लाभ दिया जाएगा।

घर में काम करने वालों से लेकर 10 से कम कर्मचारी वाली संस्था से जुड़े श्रमिक भी पोर्टल पर पंजीयन करा सकेंगे। एक मोबाइल नंबर से चार श्रमिकों का पंजीयन हो सकेगा। पंजीकृत होने वाले श्रमिकों के पास हर साल मैसेज आएगा और उसे यस करने पर पंजीयन अपडेट होता रहेगा। टोल फ्री काल सेंटर भी गुरुवार से शुरू कर दिया गया। पोर्टल को

डाटा बेस तैयार करने के लिए लांच किया गया ई-श्रम पोर्टल, मोबाइल और आधार नंबर से मुफ्त में होगा पंजीयन

विकसित करने से लेकर उससे जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने पांच साल के लिए 704 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

असंगठित क्षेत्र में 400 से अधिक काम: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अभी 400 से अधिक प्रकार के कार्यों को असंगठित क्षेत्रों में रखा गया है। राज्यों को श्रमिकों का पंजीयन इस पोर्टल पर करने के लिए कहा गया है। पंजीकृत श्रमिकों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा।

पंजीयन के काम की होगी निगरानी: पंजीयन के काम की लगातार निगरानी भी की जाएगी और इस काम के लिए राज्य स्तर पर वहां के मुख्य सचिव के नेतृत्व में निगरानी समिति बनाई जाएगी। वैसे ही पंजीयन कार्य के अमल के लिए जिलाधिकारी की निगरानी समिति बनाई जाएगी।